

अल फारुक इण्टर कालेज

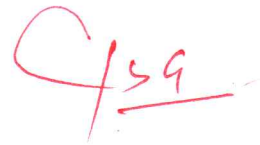
(अमौना इटवा जिला सिद्धार्थनगर)

छात्र-छात्रा का प्रवेश रद्द (NSO) व उनका पुनः प्रवेश संबंधी नियमावली

- ❖ यदि छात्र-छात्रा लगातार बिना सूचना दिए 10 दिन तक विद्यालय में अनुपस्थित रहता है तो विद्यालय से नोटिस दिए जाने के बाद कोई जवाब नहीं आता है तो उसका प्रवेश रद्द/निरस्त (NSO) कर दिया जायेगा ।
- ❖ छात्र व छात्रा का प्रवेश रद्द/निरस्त (NSO) हो जाने के बाद दोबारा यदि आते हैं तो 100/- रुपया पुनः प्रवेश शुल्क लेकर प्रवेश दिया जाएगा।

आदेशानुसार

प्रबंधक/प्रधानाचार्य



24/04/2026